कार्यालय अधीक्षक मंडल कारा, मधेपुरा

-:निविदा सूचना:-

मधेपुरा जिला अंतगर्त मंडल कारा, मधेपुरा एवं उपकारा उदाकिशुनगंज में वित्तीय वर्ष 2015–16 में (दिनांक–01.04.2015 से दिनांक–31.03.2016) आपूर्ति ली जाने वाली खाद्य सामग्रियों, यथा–खस्सी मांस (कारा हाता में काटकर), सुधा दूध, अंडा, तथा हरी सब्जी के क्रय हेतु मोहर बंद निविदा एक किलो के साथ दिनांक–16.03.2015 के अपराहन 03:00 बजे तक मंडल कारा, मधेपुरा/उपकारा उदाकिशुनगंज हेतु आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश से जिला पदाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय वेश्म में निविदाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत के समक्ष दिनांक–16.03.2015 को अपराहन 03:00 बजे खोली जाएगी। निविदाता को निविदा में भाग लेने के लिए आवश्यक शर्त निम्नलिखित है:–1. निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि–04.03.2015 को अपराहन 03.00 बजे तक, 2. निविदा खोलने की तिथि एवं समय 16.03.2015 को अपराहन 03:00 बजे 3. क्रय समिति की बैठक की तिथि एवं समय दिनांक–16.3.2015 को अपराहन 03:00 बजे 4. मंडल कारा, मधेपुरा के लिए खाद्य एवं प्रमुख सामग्रियों के लिए 40,000.00 (चालीस हजार) तथा सब्जी एवं अन्य सामग्रियों के लिए 10,000.00 (दस हजार) राशि अग्रधन के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम से प्रतिज्ञित कराकर जमा करना होगा, 5. उपकारा उदाकिशुनगंज के लिए खाद्यान एवं अन्य प्रमुख सामग्रियों के लिए क्रमशः 30,000.00 (तीस हजार रूपये) तथा सब्जी एवं अन्य सामग्रियों के लिए 5,000.00 (पाँच हजार रूपये) राशि अग्रधन के रूप में अधीक्षक उपकारा उदाकिशुनगंज के नाम से प्रतिज्ञित कराकर कर जमा करना होगा, 6. मंडल कारा, मधेपुरा एवं उपकारा उदाकिशुनगंज के लिए अलग–अलग निविदा देना आवश्यक है, 7. सफल निविदा निविदाताओं से एकरारनामा करने के पूर्व आपूरित सामग्रियों के वार्षिक अनुमानित मूल्य का पाँच प्रतिशत सुरक्षित जमा (सिक्यूरिटी डिपोजिट) के रूप में जमा कर लिया जाएगा, 8. अग्रधन एवं सुरक्षित जमा की राशि मात्र बैंक गारंटी के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा, 9. बिक्री कर एवं आयकर की अद्यतन छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है, 10. वस्तुओं की दरें मैट्रिक प्रणाली में निविदा में अंकित सामानों के अनुरूप ही अंकित करना होगा, जिसमें बिक्री कर प्रासंगिक खर्च तथा कारा गोदाम तक पहुचाने का खर्च भी सम्मिलित होगा, 11. सामग्रियो में बनावन की मात्रा नहीं होनी चाहिए, समय पर सामानों की आपर्ति नहीं करने पर अग्रधन की राशि एवं लंबित विपत्रों को जब्त कर लिया जाएगा एवं कालिकृत (BLACK LISTING) करने की कार्रवाई की जाएगी, 12. आपूरित सामग्रियों की वार्षिक अनुमानित मूल्य का पाँच प्रतिशत सुरक्षित जमा राशि का मूल्यांकन कारा द्वारा निर्धारित किया जाएगा, 13. निविदाता को जिला पदाधिकारी या पुलिस अधीक्षक से अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, 14. क्रय समिति को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को पूणतः या अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं या अनुशंसित दरों को घटाने का अधिकार महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के पास सुरक्षित होगा, 15. किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्था को बिना निविदा में भाग लिए आपूर्ति आदेश देने का महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को अधिकार सुरक्षित रहेगा, 16. लिखित न्यूनतम दर या डाक बोली में न्यूनतम दर जो अनुशंसित किया जाता है डाक लेकर मुकर जाने पर बिना नोटिस दिये अग्रधन एवं बैंक गारंटी राशि जब्त कर ली जाएगी तथा उनके विरूद्व कानूनी कार्रवाई की जाएगी, 17. समय पर आपूर्ति नहीं करने पर बिना कोई सूचना दिये ही आवश्यक सामग्रियों को दूसरे अन्य माध्यम से खरीद ली जाएगी और उसमें कारा का जो भी अधिक मूल्य देना होगा वह संबंधित आपुरक के लंबित विपत्र की राशि से काटकर वसूल कर लिया जाएगा, 18. कोई भी निविदा दाता या आपुरक कारा क्रय समिति , कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना के निर्णय के विरूद्व किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं, 19. आपूरक के ठेके में नये हिस्सेदार शामिल करना मान्य नहीं होगा, 20. सफल निविदा दाताओं को कारा क्रय समिति की अनुशंसित दर की स्वीकृति प्राप्त होने एवं सूचित किये जाने के तीन दिनों के अंदर ही आपूर्ति सामग्रियों के मूल्य का पाँच प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप में जमा करना होगा और उन्हें अपने खर्च पर कारा के ठेका बंध प्रपत्र संख्या–73 और 74 में 100.00 (एक सौ रूपये) या जो भी विधिवत राशि का न्यायधीकृत मुद्रांक (नन ज्युडिसियल स्टाम्प) बिहार, चिपका कर कतिपय स्वीकृत संसोधित नियमो का समावेश करते हुए औपचारिक भार्तनामा पर हस्ताक्षर करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर आवश्यक कार्रवाई करने के अलावा उनके द्वारा जमा की गई अग्रधन एवं बैंक गारंटी स्वतः जब्त हो जाएगी, 21. नोटिस दिए बिना किसी अन्य व्यक्तियों के साथ ठेका करने का पूर्ण अधिकार रहेगा, 22. सामग्रियों की आपूर्ति नमूने के अनुसार उत्तम श्रेणी का बनावन रहित, नमी रहित तथा बिलकुल स्वच्छ रहना आवश्यक है। निर्धारित अवधि के अंदर आपूर्ति नहीं करने पर एवं घटिया सामग्र की आपूर्ति करने पर नियमानुसर कार्रवाई किया जाएगा, 23. खाद्य सामग्रियों एवं विभिन्न सामग्रियों के निविदा दाताओं को विगत तीन वर्षो का टेक्स ऑडिट बैंलेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा, 24. भंडार आदेश के अनुसार सामानों की आपूर्ति नहीं की गई तो बिना नोटिस दिये हुए अन्य स्त्रोत से सामानों का क्रय कर कर लिया जाएगा, 25. आवंटन के अभाव में भुगतान न होने पर ठेकेदार को किसी भी परिस्थिति में आपूर्ति बंद नहीं करनी होगी, 26. निविदा सूचना की विस्तृत जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षर के कार्यालय में संपर्क या www.madhepura.nic.in पर या जिले के कोई भी प्रखंड कार्यालय के सूचनापट्ट पर देखा जा सकता है। अधोहस्ताक्षर के Mob No. 9471009858 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

मंडल कारा, मधेपुरा/उपकारा उदाकिशुनगंज के निविदा के लिए दिनांक–01.04.2015 से दिनांक–31.03.2016 तक आवश्यकता अनुसार क्रय की जाने वाली प्रमुख सामग्रियों की विवरणी:–1. गेहूँ उजला, 2. चावल मध्यम उसना, 3. चना, 4. चना दाल, 5. अरहर दाल, 6. मसूर दाल, 7. पीली चक्की गुड़, 8. स्टीम ग्रेड कोयला, 9. लकड़ी जलावन सूखा, 10. खस्सी मांस कारा हाता में काटकर, 11. आलू 8 सूत से कम नहीं, 12. प्याज, 13. चाय पत्ती, 14. चीनी, 15. सरसों तेल की धारा, 16. मिल्क पाउडर सागर।

आवश्यकतानुसार अनुसार क्रय की जाने वाली अन्य सामग्री की विवरणी www.madhepura.nic.in

ह०

अधीक्षक

मंडल कारा, मधेपुरा।

ज्ञापांक 234 दिनांक 19-2-2015

प्रति0–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, संपर्क सूचना, मधेपुरा की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित करते हुएँ अनुरोध हैं कि अपने वेवसाईट www.madhepura.nic.in पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रति0–सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकरी/अंचल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ समर्पित करते हुएँ अनुरोध हैं कि अपने कार्यालय के सूचना पट पर चिपकाने एवं जानकारी देने की कृपा की जाय।

प्रति0–अनुमंडल पदाधिकरी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकरी, अदाकिशुनगंज को सूचनार्थ समर्पित करते हुएँ अनुरोध हैं कि अपने कार्यालय के सूचना पट पर चिपकाने एवं जानकारी देने की कृपा की जाय।

प्रति0– अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ को सूचनार्थ समर्पित करते हुएँ अनुरोध हैं कि अपने कार्यालय के सूचना पट पर चिपकाने एवं जानकारी देने की कृपा की जाय।

प्रति0–जिला पदाधिकारी, मधेपुरा की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रति0–महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

19/02/15

अधीक्षक

मंडल कारा, मधेपुरा।

19.2.15 19-2-15